हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
शैक्षणिक शाखा

नस्ति संख्या 6–38/2016(अन्य)हि०प्र०वि०(शै०)

दिनांक - 9 SEP 2016

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा नवम्बर 2015 में आयोजित प्रथम सत्र के परीक्षा परिणाम के सन्दर्भ में विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति की रिर्पोट पर माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता मे दिनांक 07.09.2016 को प्रधान सचिव शिक्षा के कक्ष में आयोजित बैठक में समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए निम्नलिखित निर्णय लिया गया:–

1. हाल ही में घोषित प्रथम सत्र के परीक्षा परिणाम में विद्यार्थियों को सत्रांत परीक्षा (ईएसई) तथा आन्तरिक मूल्यांकन (आई.ए.) में संयुक्त रूप से 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर उन्हें उर्त्तीण घोषित किया जाये।
2 यह निर्णय केवल इसी उपरोक्त प्रथम सत्र के विद्यार्थियों के लिये लागू होगा तथा भविष्य मे विद्यार्थियों को सत्रांत परीक्षा तथा आन्तरिक मूल्यांकन दोनों में अलग–अलग 35 प्रतिशत तथा संयुक्त रूप से 45 प्रतिशत अंक लेने पर ही उर्त्तीण घोषित किया जाएगा।
3. उक्त निर्णय के अन्तर्गत संशोधित परीक्षा परिणाम 17 सितम्बर 2016 तक घोषित किया जाएगा।
4. मामले की गम्भीरता तथा शीघ्र कार्यवाही की आवश्यकता के दृष्टिगत यह भी निर्णय लिया गया कि इस निर्णय को माननीय कुलपति विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा–12 –सी (7) के अन्तर्गत प्रदत्त विशेष शक्तियों का प्रयोग कर अनुमोदित करें तथा तदोपरान्त इसे कार्यकारिणी परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाये।

तदानुसार माननीय कुलपति महोदय जी ने इस निर्णय को अधिनियम की धारा–12 –सी (7) के अन्तर्गत प्रदत्त विशेष शक्तियों का प्रयोग करके अपना अनुमोदन प्रदान किया है तथा इसे कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति / अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने की सिफारिश की है।

कुलसचिव
हि०प्र०वि०, शिमला–5

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि
दिनांक: [illegible]

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आगामी कार्रवाई हेतु प्रेषित:

1. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त सभी सरकारी/गैर सरकारी महाविद्यालयों के प्राचार्य को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में उक्त निर्णय का सख्ती से पालन किया जाये।
2. प्रधान सचिव ,शिक्षा, हि0 प्र0 सरकार, शिमला–2.
3. शिक्षा निदेशक, हि0 प्र0 सरकार, शिमला–1.
4. अधिष्ठाता महाविद्यालय विकास परिषद, हि0 प्र0 वि0, शिमला–5
5. परीक्षा नियन्त्रक/ अतिरिक्त परीक्षा नियन्त्रक हि0 प्र0 वि0, शिमला–5
6. उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव, गोपनीय/ परीक्षा/ मूल्यांकन/ पुर्नमूल्यकांन/ संचालन/ आर0एम0ई0/डिग्रीसैल/ प्रशासन/इनटरनल आडिट/पी0आर0ओ0 हि0 प्र0 वि0,शिमला–5
7. पी0आर0ओ0 हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से निवेदन है कि इस अधिसूचना के प्रचार हेतु इसे अखबार व दूरदर्शन/आकाशवाणी में प्रसारित करें।
8. वैब एडमिन, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से निवेदन है कि अधिसूचना को विश्वविद्यालय की वैबसाईट पर अपलोड करें।
9. प्रभारी प्रशासन, हि0प्र0वि0 से निवेदन है कि अधिसूचना के अन्तर्गत लिए गए निर्णय को समिति की सिफारिशानुसार कार्यकारिणी परिषद की आगामी बैठक में अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करें।
10. सचिव कुलपति/वरिष्ठ निजी सचिव /कुलपति /कुलसचिव , हि0 प्र0 वि0,शिमला–5.
11. अधीक्षक प्रवेश/पाठयकम शैक्षणिक शाखा हि0 प्र0 वि0 शिमला–5
12. प्रभारी पुछताछ अनुभाग, हि0 प्र0 वि0,शिमला–5.
13. संबंधित उपरोक्त महाविद्यालय की नस्ति/रक्षक नस्ति

कुलसचिव